[illegible]

[illegible]

3/7/15	[illegible]

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:04:35 IST
Reason: SelfAttested

...यक कलक्टर
...जिला ...

Scanned with CamScanner

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई

व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान चरनसिंह बनाम विशनसिंह

दावा बाबत् 53,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 56/2015

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दव व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नंबरान 539 रकवा 0.01, 540 रकवा 0.13, 419 रकवा 2.62, 543 रकवा 0.64, 553 रकवा 0.21, 555 रकवा 1.31, 617 रकवा 0.60, 618 रकवा 1.32, 693 रकवा 1.78, 2116 रकवा 0.06, 2817 रकवा 0.53, 2864 रकवा 0.25, 2865 रकवा 0.06, 2967 रकवा 0.28, 3170 रकवा 0.43, किता 13 रकवा 10.09 वाके मौजा अरौदा तहसील नदबई में स्थित है। वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें। रहन यथावत रहेगें।

बैज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीखे व सुलयाबी तक ———————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 31.07.2024 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— (हस्ताक्षर) 31/7/24
सहायक कलेक्टर
नदबई

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:04:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1. चरनसिंह पुत्र रेवती जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)

— वादी

बनाम

1. विशनसिंह पुत्र रेवती जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
2. केहरीसिंह पुत्र रेवती जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
3. सत्यपालसिंह पुत्र रेवती जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
4. धर्मपालसिंह पुत्र रेवती जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
5. बिल्ला पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
6. प्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
7. घमण्ड़ी पुत्र बिहारी जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
8. महेन्द्रसिंह पुत्र बिहारी जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
9. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
10. आर.जी.बी.बैक डहरा
11. पी.एल.डी.बी. बैंक नदबई
12. भारतीय राष्टीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली — प्रतिवादीगण

31/3/24
सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:04:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
56 / 2015	03.06.2015	31.07.2024

उनवान

1. चरनसिंह पुत्र रेवती जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)

– वादी

बनाम

1. विशनसिंह पुत्र रेवती जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
2. केहरीसिंह पुत्र रेवती जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
3. सत्यपालसिंह पुत्र रेवती जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
4. धर्मपालसिंह पुत्र रेवती जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
5. बिल्ला पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
6. प्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
7. घमण्ड़ी पुत्र बिहारी जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
8. महेन्द्रसिंह पुत्र बिहारी जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
9. राज. सरकाार जरिये तहसीलदार नदबई
10. आर.जी.बी.बैक डहरा
11. पी.एल.डी.बी. बैंक नदबई
12. भारतीय राष्टीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली – प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रामकिशन पूनिया. एड.(वादी की ओर से)

श्री दिलीप डागुर एड. (प्रतिवादीगण की ओर से)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:04:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए.

31/7/24

Scanned with CamScanner

1. यह कि उपरोक्त उनवान का दावा न्यायालय में इस [illegible] किया गया कि विवादित आराजी खसरा नंबरान 539 रकवा 0.01, 540 रकवा 0.13, 419 रकवा 2.62, 543 रकवा 0.64, 553 रकवा 0.21, 555 रकवा 1.31, 617 रकवा 0.60, 618 रकवा 1.32, 693 रकवा 1.78, 2116 रकवा 0.06, 2817 रकवा 0.53, 2864 रकवा 0.25, 2865 रकवा 0.06, 2967 रकवा 0.28, 3170 रकवा 0.43, किता 13 रकवा 10.09 वाके मौजा अरौदा तहसील नदबई में स्थित है। जो वादी व प्रतिवादी की सम्मिलित खातेदारी की आराजी है।

2. यह कि विवादित आराजी पर वादी व प्रतिवादी मनबट के आधार पर काबिज होकर अपने अपने हिस्से पर कांश्त करते चले आ रहे है आराजी का अभी विभाजन नही हुआ है। वादी विवादित आराजी का मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुर्रेजात कराकर वाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कानूनी बंटवारा करा पाने का अधिकारी है तथा अपने कुरे की खातेदारी अपने नाम न्यारानूर दर्ज करा पाने का अधिकारी है विवादित आराजी के मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुरेजात किये जाकर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कानूनी बंटवारा किया जाकर वादी को उसके हिस्से के कुरे का न्यारानूर काश्तकार घोषित किया जाए तथा मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड में नक्शा अक्श में तरमीम करने के आदेश दिए जाएं।

3. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 [illegible] ओर की ओर से श्री सूरजभान उपस्थित हुए [illegible] दावा पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:04:35 IST
Reason: SelfAttested

31/7/24

Scanned with CamScanner

शेष प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 4 कि ओर से दिनांक 30.05.2024 को श्री दिलीप डागुर एण्ड्वोकेट उपस्थित हुऐ। उभयपक्षकरान की सहमति के आधार पर वादपत्र मे दर्ज विवादित आराजीयात की बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुरेजात मंगवाए जाने हेतु दावा प्रांरभिक डिक्री किए जाने बाबत् अपनी सहमति दिनांक 19.06.2016 को लोक अदालत कोर्ट केम्प हन्तरा में पत्रावली पर दी गई। वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर एवं उभयपक्षकारान के पक्षकारों की सहमति के आधार पर वादी का वादपत्र प्रारंभिक डिक्री दिनांक 19.06.2016 को किया जाकर विवादित आराजीयात के बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर कुरेजात प्रस्ताव मंगवाए जाने हेतु तहसीलदार नदबई को आदेशित किया गया तथा तहसीलदार नदबई को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तथा राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाए जाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए। तहसीलदार नदबई द्वारा न्यायालय के आदेश की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर एवं राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 को जरिए पत्रांक 2006 दिनांक 30.05.2024 से भिजवाए गए। एवं कुरेजात प्रस्ताव पर बहस है[illegible] की गई।

उक्त तहसीलदार नदबई द्वारा कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 जो कि पत्रांक 2006 दिनांक [illegible].05.2024 से भिजवाए गए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:04:35 IST
Reason: SelfAttested

31/7/24

Scanned with CamScanner

पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रतिवादी विशनपाल व धर्मपाल पुत्र रेवती की ओर से पेश किया गया। उभयपक्षकारान के अधिवक्तागणों द्वारा कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी की ओर से जबाव आपत्ति कुरा रिपोर्ट पेश न कर सीधी बहस आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट सुनी गई। वकील प्रतिवादी आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट पर तर्क दिया कि उक्त कुर्रा अकेले वादी के कुर्रे बनाकर आये है तथा कुर्रे मौके पर जाकर नही बनाऐ है। एवं कुर्रे में कुछ खाते उनको पूरे दिये है अत पुनः कुर्रे मंगवाऐ जावें। वकील वादी का तर्क है कि कुर्रे सही बनाऐ गये है मौके व रिकॉर्ड हिससेनुसार बनाऐ है तथा पक्षकरान को जरिये नोटिस तलव कर सभी कि उपस्थित में बनाऐ गये है। वाद मुताबिक कुर्रे डिक्री किया जावें।

हमने उभयपक्षकारान की विद्वान अधिवक्तागणों की बहस आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट सुनी गई, बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध कुरेजात प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तो पाया कि तहसीलदार नदबई द्वारा जो कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 अपने पत्रांक 2006 दिनांक 30.05.2024 से भिजवाई गई का अवलोकन किया तो पाया कि कुरेजात प्रस्ताव मौके पर जाकर पक्षकारान को तलब कर पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तथा कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुए मौके [illegible] की गई है अतः वादी की आपत्ति कुरेजात प्रस्ताव खारिज किया जाना उचित प्रतीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:04:35 IST
Reason: SelfAttested

31/7/24

Scanned with CamScanner

होता है अतः आपत्ति कुरेजात प्रस्ताव खारिज किया जाकर मुताबिक कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 के अनुसार ही डिक्री किया जाना उचित है।

–::आदेश::–

अतः आदेश है कि वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित आराजी खसरा नंबरान 539 रकवा 0.01, 540 रकवा 0.13, 419 रकवा 2.62, 543 रकवा 0.64, 553 रकवा 0.21, 555 रकवा 1.31, 617 रकवा 0.60, 618 रकवा 1.32, 693 रकवा 1.78, 2116 रकवा 0.06, 2817 रकवा 0.53, 2864 रकवा 0.25, 2865 रकवा 0.06, 2967 रकवा 0.28, 3170 रकवा 0.43, किता 13 रकवा 10.09 वाके मौजा अरौदा तहसील नदबई में स्थित है। वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें। रहन यथावत रहे। [illegible] डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.7.24 को खुले न्यायालय में लिखवाया [illegible] पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:04:35 IST
Reason: SelfAttested

31/7/24
(गंगाधर मीना) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर
सहायक कलक्टर, नदबई

सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर) राज.

Scanned with CamScanner